

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(51)ग्रावि-5/PMYA-G/Pragarti/2022-21/00635 जयपुर, दिनांक जून, 2026

जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत Awaas+2024 सर्वेक्षण के क्रम में तैयार Draft Permanent Wait List (PWL) का विशेष ग्राम सभा दिनांक 29.06.2026 में अनुमोदन कराने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्र दिनांक 02.06.2026।

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.05.2026 द्वारा वरीयता सूची तैयार करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गयी। योजनान्तर्गत पात्र परिवारों की पहचान किये जाने में निम्न प्रक्रिया सुनिश्चित की जावे:-

1. ड्राफ्ट वरीयता सूची के अनुसार परिवार आवासहीन, 0, 1 या 2 कमरा कच्ची दीवार एवं कच्ची छत का आवासधारी होना चाहिए।

2. परिवार की पात्रता निर्धारण हेतु क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के अनुबंध-1 के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 14.08.2024 द्वारा जारी बहिर्वेशन हेतु निर्धारित 10 मापदण्डों में से किसी एक को भी पूरा करने वाला परिवार शामिल नहीं किया जावे।

3. घास/बांस/प्लास्टिक व हाथ से निर्मित केल्लू की छत को कच्ची छत एवं इन्ही सामग्रियों व मड/बिना पकी ईट, लकड़ी का पत्थर जिसमें मोर्टार काम में नहीं लिया गया हो को कच्चा आवास माना जावे।

उक्त क्रम में पंचायती राज विभाग के पत्र दिनांक 22.06.2026 द्वारा योजनान्तर्गत ड्राफ्ट वरीयता सूची के अनुमोदन हेतु विशेष ग्राम सभा आयोजित कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

उक्त संबंध में दिनांक 29.06.2026 को प्रस्तावित विशेष ग्राम सभाओं में आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित ड्राफ्ट वरीयता सूची के अनुमोदन के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:-

1. ग्राम सभा में भाग लेने हेतु पंचायत समिति के अधिकारियों को नामित किया जावे।
2. आवास सॉफ्ट पर ग्राम पंचायतवार प्रदर्शित ड्राफ्ट वरीयता सूची दिनांक 25.06.2026 तक आवश्यक रूप से डाउनलोड कर हार्ड प्रति संबंधित ग्राम पंचायत/सरकारी कार्यालय/सार्वजनिक स्थल के नोटिस बोर्ड पर आमजन के अवलोकन हेतु प्रदर्शित की जावे।
3. प्रस्तावित ग्राम सभा से पूर्व ड्राफ्ट वरीयता सूची की प्रति माननीय सांसद, मा. विधायक एवं जनप्रतिनिधियों को भी प्रेषित की जावे।
4. विशेष ग्राम सभा में ड्राफ्ट वरीयता सूची अनुमोदन के क्रम में भाग लेने हेतु सोशल मीडिया/प्रेस नोट आदि माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।

5. ऐसे परिवार, जिनका नाम ड्राफ्ट वरीयता सूची में शामिल है परन्तु ग्राम सभा द्वारा अपात्र मानकर सम्मिलित नहीं किया गया हो, तो अपात्रता के कारणों का कार्यवाही विवरण में स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
6. ऐसे परिवार, जिनका नाम ड्राफ्ट वरीयता सूची में शामिल नहीं है और प्रार्थी अपने को पात्रता हेतु ग्राम सभा को पक्ष प्रस्तुत करता है, तो ऐसे परिवारों से पात्रता संबंधी दस्तावेजों सहित अपील का परीक्षण उपरांत ग्राम सभा की सिफारिश जिला कलक्टर अध्यक्ष, जिला अपीलेट कमेटी के समक्ष विचारार्थ प्रेषित की जावे।
7. ऐसे परिवार जो ग्राम सभा के निर्णय से असहमत हो, को संलग्न प्रार्थना-पत्र के प्रारूप में जिला कलक्टर के समक्ष 07 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत करने हेतु अवगत करावें।

अतः निर्देश है कि योजनान्तर्गत ड्राफ्ट वरीयता सूची का प्रस्तावित विशेष ग्राम सभा दिनांक 29.06.2026 में अनुमोदन बाबत उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराकर जिला अपीलेट कमेटी से अनुमोदन उपरांत दिनांक 10.07.2026 तक अंतिम वरीयता सूची आवास सॉफ्ट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(कृष्ण कुणाल)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंरावि।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Krishna Kunal
Designation : Secretary To
Government
Date :25-06-2026 01:32:59

RajKaj Ref No.:
23050233

आवास प्लस-2024 की वरीयता सूची में नाम शामिल प्रार्थियों द्वारा उपयोग हेतुआवेदन पत्र

(ऐसे लाभार्थी द्वारा उपयोग में लिया जाना है जिनका नाम आवास प्लस-2024 की सूची में है परन्तु ग्राम सभा द्वारा अपात्र घोषित किया गया है)

जिला अपीलिय समिति, (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण)

जिला..... ।

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवास प्लस-2024 की वरीयता सूची के डाटा के आधार पर तैयार सूची में नाम होने के बावजूद ग्राम सभा के द्वारा काट दिये जाने के उपरान्त जोड़ने के क्रम में।

द्वारा:- विकास अधिकारी पंचायत समिति.....जिला.....

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं.....पुत्र/पत्नी श्री..... शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि आज दिनांक.....तक मेरे पास कोई आवास/एक कमरे का कच्चा आवास/दो कमरों का कच्चा आवास नहीं है।

इसके अतिरिक्त अपात्रता के आधार:-

1. तिपहिया/चौपहिया वाहन होने पर।
2. मेकेनाईज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर।
3. किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 50 हजार या उससे अधिक होने पर।
4. परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर।
5. परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर।
6. परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रूपये 15 हजार प्रति माह या अधिक होने पर।
7. इन्कम टैक्स देने पर।
8. व्यावसायिक कर देने पर।
9. स्वयं की 2.5 एकड या अधिक सिंचित भूमि होने पर।
10. स्वयं की 5 एकड या अधिक असिंचित भूमि होने

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के आधार पर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में पात्रता रखता हूँ, परन्तु ग्राम सभा द्वारा मेरा नाम गलती से काट दिया गया है। अतः मेरा नाम पात्रता सूची में जुड़वाने का श्रम करावे।

हस्ताक्षर

मय पता.....

सत्यापन रिपोर्ट

सत्यापित किया जाता है कि श्री.....पुत्र.....पत्नी..... का नाम पात्रता सूची आवास प्लस-2024 के डाटा के आधार पर इनका नाम क्रम संख्या.....पर अंकित है। परन्तु इनके अनुमोदन हेतु आयोजित ग्राम सभा द्वारा इनकी पात्रता निम्न सुविधा बिन्दु..... के कारण हटा दी गई है। (कारण का उल्लेख करें)

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत

सरपंच

जिला स्तरीय अपीलैट कमेटी द्वारा स्वीकृत

जॉच पश्चात आवेदक का नाम प्रधामंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु आवास प्लस-2024 सूची में पुनः नाम जोडने/नहीं जोडने अथवा नया नाम जोडने/नही जोडने की अभिशंषा की जाती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सदस्त एनजीओं

जिला कलक्टर

आवास प्लस-2024 की वरीयता सूची में नाम शामिल प्रार्थियों द्वारा उपयोग हेतु आवेदन पत्र
(ऐसे लाभार्थी द्वारा उपयोग में लिया जाना है जिनका नाम आवास प्लस-2024 की सूची में नहीं है)

जिला अपीलीय समिति, (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण)

जिला..... ।

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों की सूची में नहीं होने पर नाम जुड़वाने के क्रम में।

द्वारा:- विकास अधिकारी पंचायत समिति.....जिला.....

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं श्री.....पुत्र/पत्नी श्री..... शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि आज दिनांक.....तक मेरे पास कोई आवास/एक कमरे का कच्चा आवास/दो कमरों का कच्चा आवास नहीं है।

इसके अतिरिक्त अपात्रता के आधार:-

1. तिपहिया/चौपहिया वाहन होने पर।
2. मेकेनाईज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर।
3. किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 50 हजार या उससे अधिक होने पर।
4. परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर।
5. परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर।
6. परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रुपये 15 हजार प्रति माह या अधिक होने पर।
7. इन्कम टैक्स देने पर।
8. व्यावसायिक कर देने पर।
9. स्वयं की 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि होने पर।
10. स्वयं की 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि होने पर।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के आधार पर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में पात्रता रखता हूँ, परन्तु ग्राम सभा द्वारा मेरा नाम गलती से काट दिया गया है। अतः मेरा नाम पात्रता सूची में जुड़वाने का श्रम करावे।
संलग्न:-दस्तावेज।

हस्ताक्षर

मय पता.....

सत्यापन रिपोर्ट

सत्यापित किया जाता है कि श्री.....पुत्र.....पत्नी..... का नाम पात्रता सूची आवास प्लस-2024 के डाटा के आधार पर इनका नाम अंकित नहीं है। प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजों की जांच कर ली गयी है एवं प्रार्थी के कच्चा आवास/आवास नहीं है।

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत

सरपंच

जिला स्तरीय अपीलैट कमेटी द्वारा स्वीकृत

जॉच पश्चात आवेदक का नाम प्रधामंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु आवास प्लस-2024 सूची में पुनः नाम जोडने/नहीं जोडने अथवा नया नाम जोडने/नही जोडने की अभिशंषा की जाती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सदस्त एनजीओं

जिला कलक्टर



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.15(20)पंरावि/विधि/वि0ग्रा0सभा/2026/ई-81146

जयपुर, दिनांक:-

1. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त (राजस्थान)।
2. विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, समस्त (राजस्थान)।

विषय:-दिनांक 29 जून, 2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन बाबत।

संदर्भ:-आयुक्त, ईजीएस, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर से प्राप्त अशा0टीप0 राजकाज क्रमांक 22942827 दिनांक 19.06.2026 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयुक्त, ईजीएस, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर द्वारा संदर्भित अशा0टीप0 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया है कि दिनांक 12 जून, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक जन कल्याण शिविर के अन्तर्गत "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं, वीबी-जी राम जी योजना के प्रचार-प्रसार, कार्य प्रस्ताव प्राप्त करना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत किस्तें जारी करना, लंबित स्वीकृतियां जारी करना, भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन करना आदि गतिविधियां की जा रही हैं।

दिनांक 01 जुलाई, 2026 से वीबी-जी राम जी योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है, जिसका प्रचार-प्रसार, प्राप्त कार्यों के प्रस्ताव/कार्ययोजना का अनुमोदन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, सभी के लिए आवास के तहत आवास प्लस सर्वे-2024 के माध्यम से किये गये सर्वेक्षण के आधार पर तैयार वरीयता सूची का ग्राम सभा में अनुमोदन किया जाना है।

अतः आयुक्त, ईजीएस, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर से प्राप्त संदर्भित अशा0टीप0 की छायाप्रति संलग्न भेजकर निवेदन है कि आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 29 जून, 2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाकर, उक्त अशा0टीप0 में वर्णित निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(भारत भूषण गोयल)
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)

RajKaj Ref No.:
22960302



Signed by: Bharat
Bhushan Goyal, Deputy
Secretary To Government
Date: 2026-06-22
12:02:49 +05:30

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, ईजीएस, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर को उनकी अशा0टीप0 राजकाज क्रमांक 22942827 दिनांक 19.06.2026 के क्रम में।
5. जिला कलक्टर, समस्त।
6. संयुक्त निदेशक (मॉ0), मुख्यालय।
7. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), मुख्यालय।

RajKaj Ref No.:
22960302



Signed by: Bharat
Bhushan Goyal, Deputy
Secretary To Government
Date: 2026-06-22
12:02:49 +05:30

No. J-11014/1/2024-RH-Pol. (e-387579)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Rural Housing Division)

Krishi Bhawan, New Delhi-110001

Dated the 14th August, 2024

To

The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary
Department of Rural Development
In charge of the Pradhan Mantri Awaas Yojana- Gramin (PMAY-G)
of All States and UTs

Subject: Implementation of the Pradhan Mantri Awaas Yojana- Gramin (PMAY-G) during FY 2024-25 to 2028-29- Modifications in the next phase of the scheme - reg.

Sir/ Madam,

The Union Cabinet in its meeting held on 9th August, 2024 has approved the implementation of the Pradhan Mantri Awaas Yojana- Gramin (PMAY-G) for 5 more years from FY 2024-25 to 2028-29 for 2 crore more houses. The approvals given by the Union Cabinet have been intimated to the States/UTs vide letter of even number dated 12th August, 2024. In this regard, the major modifications in the scheme for implementation of the next phase of the PMAYG, as approved by the Union Cabinet are given as under:-

- I. **Target for PMAY-G:** The Union Cabinet has approved the continuation of the scheme for 5 more years from FY 2024-25 to 2028-29 with target for construction of 2 crore more houses. The beneficiaries would be balance households in the existing SECC 2011 based PWL and Awaas+ 2018 database, after updation. The Ministry would allocate the State/UT wise targets for FY 2024-25 shortly.
- II. **Conduct of exercise for updating the Awaas+, 2018 list** for identifying eligible rural households for getting benefits under the scheme. The updation exercise would be done using the modified exclusion process with revised 10 exclusion criteria. The Ministry would request the States/UTs for starting the survey shortly. The modified exclusion criteria w.e.f. FY 2024-25 for identification of additional potential beneficiaries are given as under (also modified in the Annexure-I of the existing FFI of the PMAY-G):-
 - i. Motorised three/four-wheeler
 - ii. Mechanised three/ four-wheeler agricultural equipment
 - iii. Kisan Credit Card with credit limit of ₹50,000 or above
 - iv. Household with any member as a Government employee
 - v. Households with non-agricultural enterprises registered with the Government
 - vi. Any member of the family earning more than ₹15,000 per month
 - vii. Paying income tax
 - viii. Paying professional tax
 - ix. Own 2.5 acres or more of irrigated land
 - x. Own 5 acres or more of unirrigated land
- III. In addition, the scheme would ensure the **priority for first time beneficiary households** during FY 2024-25 to 2028-29.
- IV. The **unit assistance** under the next phase of the scheme is Rs. 1.20 lakh in plain areas and Rs. 1.30 lakh in the North Eastern Region (NER) States, Hill States namely Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu & Kashmir and

Ladakh only.

- V. The **administrative funds** would be 2% of the program funds for meeting the administrative expenses as per the Framework For Implementation (FFI) of the PMAY-G. The bifurcation of the administrative funds would be 1.70% to be released to the States/UTs and 0.30% to be retained at Central level. Within this overall limit of 2% funds, the Department would provide additional admin. funds to the North Eastern Region (NER) States and Hill States namely Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu & Kashmir and Ladakh only.
- VI. The incomplete houses of the previous phase would be completed during FY 2024-25 as per the existing rates. The Ministry has already allocated full and final target of 2.95 crore houses to the States in FY 2023-24 and this State/UT wise target of 2.95 crore houses allocated by this Ministry till 31.03.2024 shall be fixed. Further, the States/UTs would be allowed to meet the gaps in targets, if any due to remand of ineligible households sanctioned earlier, by sanctioning houses to next in line eligible household for trying to saturate the eligible households in their SECC 2011 and Awaas+ 2018 PWL within overall targets allocated to them and corresponding Central share liability.

2 . The States/UTs are accordingly requested to continue their efforts for successful initiation of the next phase as well as completion of pending houses of the previous phases.

Yours faithfully,

Signed by Gaya Prasad

(Gaya Prasad) 17-08-2024 13:38:34

Dy. D.G. (RH)

Tele. No.: 011-23388431

Email: gaya.prasad@nic.in

Copy to:-

- i. The State Nodal Officers/ State MIS Nodal Officers of all States and UTs implementing the PMAY-G for information and necessary action.
- ii. Dir/DS/JD of the Rural Housing Division of the Ministry
- iii. NIC unit, MoRD